भाग–1

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्प संख्यकों हेतु योजनाएं

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गो तथा अल्प संख्यको के लिए योजनाएं

(क) राज्य योजनाएं

1 मकान निर्माण हेतु अनुदान
Subsidy for the Construction of Houses

उद्‌देश्य मकान निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध करवाना।

सहायता नये मकान निर्माण के लिए 75,000/–रू0

पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछडे वर्गों से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 35000/–रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण प़त्र, हिमाचली प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है कि जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी